न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू।

––––– **अपीलान्ट**

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य।

––––– **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :– श्री राजेन्द्रसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री कमलजीत सिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20.8.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 06.03.2018, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्ति की सूचना प्रेषित की गयी, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष दिनांक 7.10.16 को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू, एवं उप वन संरक्षक चूरू से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 6.1.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने एवं खतरे सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं होने तथा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 1490 दिनांक 6.3.18 अपीलांट के निमित जारी कर बतौर सूचना अपीलांट को सूचित किया कि "नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है, प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज शामिल नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। तद्नुसार सूचना प्रेषित है।'' उक्त सूचना पत्र से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेन्द्रसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूतों पर गौर नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चूरू के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया कि जिसमें अपीलार्थी नेशनल राईफल ऐसोसिएशन एवं राजस्थान राईफल ऐसोसियेशन का सदस्य है। प्रार्थी राईफल शूटर प्लेयर है इसलिए उसे पिस्टल की आवश्यकता है। इसके अलावा अपीलांट के पिता श्री सुरेन्द्रसिंह, जो कि अपने क्षेत्र में ख्यातिनाम व्यक्ति हैं, जिनसे लोग ईर्ष्या रखते हैं। ईष्यावश उन पर जान से मारने का असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार प्रयास किये जा चुके हैं। इसीलिए प्रार्थी से भी ये लोग रंजिश रखते हैं। अपीलांट को अपने व अपने परिवार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपने पास पिस्टल रखना नितान्त आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू एवं वन विभाग से भी जांच कर रिपोर्ट ली गई है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्टतः अंकित किया है कि उसे अपनी आत्मसुरक्षा एवं परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिये गये कारणों के संबंध में समुचित साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अपीलांट के पिता ख्यातनाम व्यक्ति हैं, उनसे रंजिश होने पर अपीलांट को भी जान–माल का खतरा होना बताया गया है, परन्तु इस संबंध में अपीलांट ने कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांट अपीलान्ट के आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 6.1.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के परिवार की गांव में अन्य लोगों से रंजिश है और इसके चलते गांव में लोक शांति, कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है । ऐसी सूरत में अपीलांट के पास हथियार होने से उसके दुरूपयोग की भी प्रबल संभावना बनी रहेगी। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु दिनांक 7.10.16 को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट राईफल शूटर खिलाड़ी है और आत्मरक्षा हेतु लाईसेंस चाहता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता श्री सुरेन्द्रसिंह अपने क्षेत्र में ख्यातनाम व्यक्ति हैं, जिनसे लोग ईर्ष्या रखते हैं, तथा इसी ईर्ष्यावश उन पर जान से मारने का प्रयास कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है। हमने अधिनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट को अपने व उसके परिवार को जान–माल का खतरा होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। अपीलांट की ओर से किसी प्रकार का मामला थाना या अदालत में पेश होना भी नहीं पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 6.1.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने एवं खतरे सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं होने तथा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला मजिस्ट्रेट, चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.18 एवं सूचना दिनांक 6.3.18 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 20.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर